

प्रश्न 1

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

इस प्रस्तावित कानून के तहत विधान-मंडल और गवर्नर के कार्यालय के अधिकांश रिकॉर्ड Massachusetts के सार्वजनिक रिकॉर्ड कानून के तहत सार्वजनिक रिकॉर्ड माने जाएंगे। यह प्रस्तावित कानून सार्वजनिक नीति के विकास से संबंधित दस्तावेजों और विधायकों और उनके निर्वाचकों के बीच संचार को छूट प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसा संचार किसी निर्वाचक द्वारा सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों या सेवाओं को प्राप्त करने या किसी सरकारी एजेंसी के साथ बातचीत करने में सहायता के अनुरोध से उचित रूप से संबंधित हो।

'हाँ' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि विधानमंडल और गवर्नर के कार्यालय के पास मौजूद अधिकांश रिकॉर्ड Massachusetts सार्वजनिक रिकॉर्ड कानून के तहत सार्वजनिक रिकॉर्ड माने जाएंगे।

'नहीं' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि Massachusetts सार्वजनिक रिकॉर्ड कानून में कोई बदलाव नहीं करेगा।

प्रश्न 2

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

यह प्रस्तावित कानून यह स्पष्ट करेगा कि Committee for Public Counsel Services (जन परामर्शदाता सेवा समिति ("CPCS")) के कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के साथ सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने की अनुमति है। इसके साथ ही CPCS को सौदेबाजी समझौते को लागू करने के बाद, ऐसे समझौते को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक निधि के लिए गवर्नर से अनुरोध करना होगा।

'हाँ' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि Committee for Public Counsel Services के कर्मचारी मिलकर यूनियन बना सकते हैं और अपने नियोक्ता से सामूहिक रूप से बातचीत कर सकते हैं।

'नहीं' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि Committee for Public Counsel Service के कर्मचारियों के लिए श्रम संबंधों से जुड़े कानून में कोई बदलाव नहीं होगा।

प्रश्न 3

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

यह प्रस्तावित कानून राज्य के चुनावों में राजनीतिक दलों की प्राथमिक चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर देगा और उनकी जगह एक संयुक्त प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था की जाएगी जिसमें सभी दलों के लिए

एक ही प्राथमिक चुनाव होगा, सभी उम्मीदवारों को उनकी राजनीतिक दल की संबद्धता की परवाह किए बिना, एक ही मतपत्र पर शामिल किया जाएगा और मतदाता उस मतपत्र पर सूचीबद्ध किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट दे सकेंगे। प्राथमिक चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को आम चुनाव के मतपत्र में जगह मिलेगी।

इस प्रस्तावित कानून में यह अनिवार्य होगा कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ें और मतपत्र पर एक साथ सूचीबद्ध किए जाएँ।

इस प्रस्तावित कानून के तहत किसी समूह के उम्मीदवारों को राज्य-स्तर के किसी पद के लिए प्राथमिक चुनाव में कम से कम 3% वोट मिलने पर उस समूह को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। **‘हाँ’ के तौर पर वोट** देने का मतलब होगा कि राज्य चुनावों में अलग-अलग पार्टी के प्राथमिक चुनाव नहीं होंगे बल्कि इसकी बजाय एक ही प्राथमिक चुनाव होगा, जिसमें सभी उम्मीदवार एक ही मतपत्र पर होंगे। मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे और सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवार आम चुनाव में जाएँगे।

‘नहीं’ के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि प्राथमिक चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कोई बदलाव नहीं करेगा।

प्रश्न 4

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

इस प्रस्तावित कानून के तहत पात्र व्यक्ति चुनाव के दिन मतदाता पंजीकरण कर सकेंगे या अपने मतदाता पंजीकरण पते को अपडेट कर सकेंगे।

मतदान के लिए पात्र व्यक्ति मतदान के दिन, मतदान के घंटों के दौरान अपने निवास वाले मतदान प्रांत के मतदान स्थल पर जाकर, निवास का प्रमाण प्रस्तुत करके और लिखित शपथ पर हस्ताक्षर करके मतदाता पंजीकरण कर सकता है। निवास का प्रमाण फ़ोटो वाला कोई वैध पहचान पत्र या ऐसा दस्तावेज़ हो सकता है, जिसमें व्यक्ति का नाम और वह पता दिया गया हो जहाँ वह रहता है, जैसे कि वर्तमान बिजली/पानी का बिल, बैंक स्टेटमेंट, सरकारी चेक, आवासीय लीज़, वायरलेस टेलीफोन स्टेटमेंट, पेचेक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा जारी वर्तमान छात्र शुल्क का विवरण या कोई अन्य दस्तावेज़ या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज़ या पत्राचार। लिखित शपथ के तहत व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होगा कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, कम से कम 18 वर्ष के हैं, उन्हें कानूनी तौर पर मतदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, और उन्होंने उसी चुनाव में किसी अन्य स्थान पर मतदान नहीं किया है और न ही करेंगे। शपथ के तहत व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि झूठी जानकारी प्रदान करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास या अधिकतम \$10,000 तक के जुर्माने, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति निवास का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे प्रावधानिक मतपत्र डालने की अनुमति होगी, जिसकी गणना तभी की जाएगी जब व्यक्ति आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए वापस आए और नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने से पहले, राज्य प्राथमिक चुनाव के दो दिनों के भीतर, या राज्य चुनाव के छह दिनों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान कर दे।

चुनाव के दिन मतदाता पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को उस दिन होने वाले चुनाव तथा भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए भी पंजीकृत मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

जो व्यक्ति पहले से ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे मतदान के दिन अपनी राजनीतिक पार्टी की संबद्धता को नहीं बदल सकेंगे।

प्रस्तावित कानून 1 जनवरी, 2028 से प्रभावी होगा।

'हाँ' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि पात्र नागरिकों को चुनाव के दिन अपने मतदान स्थल पर मतदाता पंजीकरण करने या अपने मतदाता पंजीकरण के पते को अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी।

'नहीं' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि मतदाता पंजीकरण को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 5

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

यह प्रस्तावित कानून राज्य हर साल राजस्व एकत्र किए जाने की सीमा को बदल देगा। यह प्रस्ताव हर साल राज्य के राजस्व को पिछले साल के राज्य के शुद्ध राजस्व की राशि तक सीमित करेगा, जिसमें Massachusetts में पिछले तीन सालों के दौरान वेतन और मजदूरी में हुई औसत वृद्धि के बराबर दर से वृद्धि की जाएगी। यदि राज्य द्वारा हर साल एकत्र किया गया राजस्व सीमा से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि अगले साल करदाताओं को वापस कर दी जाएगी। प्रस्तावित कानून राजस्व सीमा की गणना करते समय और यह निर्धारित करते समय कि राज्य का राजस्व उस सीमा से अधिक है या नहीं, \$1 मिलियन से अधिक की आय पर अधिभार से प्राप्त सभी राजस्व को शामिल करेगा।

प्रस्तावित कानून के सभी प्रावधान 1 जुलाई, 2027 से प्रभावी होंगे।

प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि, यदि इसके किसी भी हिस्से को अमान्य घोषित किया जाता है, तो अन्य हिस्से प्रभावी रहेंगे।

'हाँ' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि राज्य के राजस्व संग्रह की सीमा में बदलाव किया जाएगा, यह सीमा पिछले वर्ष के राजस्व संग्रह में औसत वेतन और मजदूरी वृद्धि को जोड़कर तय की जाएगी और उस तय सीमा से अधिक एकत्र किए गए राजस्व को वापस कर दिया जाएगा।

'नहीं' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि राज्य के राजस्व संग्रह से संबंधित कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 6

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

यह प्रस्तावित कानून Nature for All Fund (सभी के लिए प्रकृति निधि) बनाएगा जिसे विधानमंडल द्वारा विनियोग के अधीन, इसके संचालन के पहले वर्ष में खेल संबंधी सामान, मनोरंजक वाहनों और गोल्फ़ कोर्स की बिक्री एवं उपयोग से एकत्र किए गए राज्य करों का 50% प्राप्त होगा। 1 जुलाई 2028 के बाद, Nature for All Fund को विधानमंडल द्वारा विनियोग किए जाने के अधीन, खेल संबंधी सामान, मनोरंजक वाहनों और गोल्फ़ कोर्स की बिक्री एवं उपयोग पर एकत्र किए गए राज्य करों का 100% प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। Nature for All Fund को प्राप्त होने वाले बिक्री कर राजस्व में Massachusetts Bay Transportation Authority State and Local Contribution Fund (मैसाचुसेट्स बे परिवहन प्राधिकरण राज्य और स्थानीय योगदान निधि) और School Modernization and Reconstruction Trust Fund (स्कूल आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण ट्रस्ट निधि) में हस्तांतरित किया गया बिक्री कर राजस्व शामिल नहीं होगा। प्रस्तावित कानून के तहत राज्य के Executive Office of Energy and Environmental Affairs (ऊर्जा और पर्यावरण मामलों के कार्यकारी कार्यालय) को Nature for All Fund में उपलब्ध निधि को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खर्च करने की अनुमति होगी।

प्रस्तावित कानून के तहत Nature for All Fund में सरकारी और निजी स्रोतों से दान दिया जा सकेगा। प्रस्तावित कानून राज्य के नियंत्रक को वित्तीय वर्ष के अंत में Nature for All Fund में बची हुई अतिरिक्त निधि को हस्तांतरित करने से रोकेगा। यह राज्य की एजेंसियों, नगरपालिकाओं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में संलग्न सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थाओं, जनजातीय सरकारों तथा अन्य क्षेत्रीय सार्वजनिक संस्थाओं को Nature for All Fund से धन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में पेयजल, जलधाराओं, नदियों, झीलों, तटों, कृषि भूमि, वनों, खुले स्थानों के बीच संपर्क तथा स्वदेशी समुदायों के सांस्कृतिक महत्व वाली भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से भूमि का संरक्षण या पुनर्स्थापन शामिल होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में पार्कों, ट्रेल्स, हरित क्षेत्रों या बाहरी मनोरंजन के लिए सुलभ पहुंच के निर्माण, सुधार और प्रबंधन को भी शामिल किया जाएगा।

प्रस्तावित कानून 15 सदस्यों वाले Nature for All Board की स्थापना करेगा, जिसमें राज्य के पाँच अधिकारी तथा गवर्नर द्वारा नियुक्त जनता के दस सदस्य होंगे। प्रस्तावित कानून के तहत जनता के दस सदस्यों में कम सेवा प्राप्त करने वाले समुदायों और स्वदेशी लोगों के प्रतिनिधि तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में विशेषज्ञता या अनुभव रखने वाले कम से कम एक व्यक्ति का शामिल होना आवश्यक होगा। प्रस्तावित कानून के तहत राज्य के Executive Office of Energy and Environmental Affairs को Nature for All Fund की धनराशि से निधि का प्रबंधन करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति होगी। प्रस्तावित कानून Nature for All Board को इस बारे में नियम बनाने के लिए भी बाध्य करेगा कि Nature for All Fund में मौजूद निधि कैसे खर्च की जानी चाहिए, जिसमें पर्यावरणीय न्याय सिद्धांतों के अनुरूप होने, स्वदेशी समुदायों के लिए सांस्कृतिक महत्व वाली भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और पुनर्स्थापन, किफायती आवास के विकास को बढ़ावा देने, तथा व्यय और बॉन्ड जारी करने से संबंधित अन्य मामलों के नियम शामिल होंगे।

प्रस्तावित कानून के तहत राज्य के Executive Office of Energy and Environmental Affairs को पर्यावरणीय न्याय वाली आबादी वाले शहरों और कस्बों में भूमि खरीदने या उसमें सुधार करने पर खर्च की गई निधि के संबंध में विभिन्न राज्य समितियों को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

प्रस्तावित कानून 1 जुलाई, 2027 से प्रभावी होगा।

‘हाँ’ के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक ऐसी निधि तैयार की जाएगी जिसमें खेल संबंधी सामान और मनोरंजक वाहनों की बिक्री व उपयोग तथा गोल्फ़ कोर्स के उपयोग पर एकत्र किए गए कुछ राज्य करों की राशि जमा की जाएगी।

‘नहीं’ के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि यह प्राकृतिक संसाधन संरक्षण निधि नहीं बनाई जाएगी और बिक्री तथा उपयोग करों को खर्च करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 7

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

यह प्रस्तावित कानून आवासीय क्षेत्रीकरण वाले क्षेत्र में एकल-परिवार वाले घरों के निर्माण की अनुमति देगा, बशर्ते कि जिस भूमि पर निर्माण किया जाना है उसका क्षेत्रफल कम से कम 5,000 वर्ग फुट हो, सामने वाली सड़क, मार्ग या सार्वजनिक रास्ते से लगी भूमि की लंबाई कम से कम 50 फुट हो, और सार्वजनिक सीवर तथा जल सेवाओं तक सुलभ पहुँच हो।

प्रस्तावित कानून शहरों और कस्बों को उन एकल-परिवार वाले घरों के कुछ पहलुओं को उचित रूप से विनियमित करने की अनुमति देगा, जिनमें उनकी ऊँचाई, पड़ोसी भवनों से दूरी, खुले स्थान, पार्किंग संबंधी आवश्यकताएँ तथा उन्हें अल्पकालिक आधार पर किराए पर दिया जा सकता है या नहीं, शामिल हैं। प्रस्तावित कानून Executive Office of Housing and Livable Communities (आवास और रहने योग्य समुदायों का कार्यकारी कार्यालय) को प्रस्तावित कानून के प्रशासन के लिए मार्गदर्शन या विनियम जारी करने की अनुमति भी देगा।

‘हाँ’ के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि आवासीय क्षेत्रों में 5,000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर एकल-परिवार वाले घर बनाए जा सकेंगे, बशर्ते कि ऐसे घरों के कुछ पहलुओं पर स्थानीय स्तर पर उचित नियम लागू किए जा सकें।

‘नहीं’ के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि एकल-परिवार वाले घरों के निर्माण से संबंधित कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 8

पहल याचिका के तहत प्रस्तावित कानून

क्या आप नीचे संक्षेप में दिए गए कानून को स्वीकृति देते हैं, जिस पर 6 मई 2026 से पहले सीनेट या लोक-सभा में कोई मतदान नहीं हुआ था?

सारांश

प्रस्तावित कानून Massachusetts में कानूनी रूप से रखी जा सकने वाली मारिजुआना के प्रकार और मात्रा में बदलाव करेगा, क्योंकि इसके तहत उन कानूनों को निरस्त किया जाएगा जो Massachusetts में वयस्कों के मनोरंजक उपयोग के लिए मारिजुआना की खुदरा बिक्री को वैध बनाते हैं, विनियमित करते हैं और उस पर कर लगाते हैं। प्रस्तावित कानून 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 1 औंस या उससे कम मारिजुआना रखने की अनुमति भी देगा, जिसमें कॉन्सन्ट्रेट के रूप में 5 ग्राम से अधिक नहीं होगा और यह उन्हें 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी अन्य व्यक्ति को 1 औंस या उससे कम मारिजुआना उपहार में देने या हस्तांतरित करने की भी अनुमति देगा, जिसमें कॉन्सन्ट्रेट के

रूप में 5 ग्राम से अधिक मारिजुआना शामिल नहीं होगा। प्रस्तावित कानून 1 से 2 औंस के बीच मारिजुआना रखने पर \$100 का सिविल जुर्माना और मारिजुआना की जब्ती का प्रावधान भी करेगा।

21 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों के लिए, प्रस्तावित कानून 2 औंस या उससे कम मारिजुआना रखना दीवानी उल्लंघन मानेगा, जिसके लिए \$100 का जुर्माना, मारिजुआना की जब्ती, ड्रग जागरूकता कार्यक्रम पूरा करना और सामुदायिक सेवा करना अनिवार्य होगा तथा अपराध और जुर्माने की सूचना उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को दी जाएगी।

प्रस्तावित कानून के तहत वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त वयस्क मनोरंजक मारिजुआना व्यवसायों को शीघ्र प्रक्रिया के आधार पर लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा मारिजुआना डिस्पेंसरी बनने के लिए आवेदन करने और अपने पास बची वयस्क मनोरंजक मारिजुआना की इन्वेंटरी को मेडिकल मारिजुआना डिस्पेंसरी को बेचने की अनुमति होगी। प्रस्तावित कानून Cannabis Control Commission (कैनबिस नियंत्रण आयोग) को यथावत बनाए रखेगा, लेकिन इसके अधिकार में बदलाव करेगा, ताकि यह केवल मेडिकल मारिजुआना बाज़ार को विनियमित करे।

प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि, यदि इसके किसी भी हिस्से को अमान्य घोषित किया जाता है, तो अन्य हिस्से प्रभावी रहेंगे।

प्रस्तावित कानून 1 जनवरी, 2028 से प्रभावी होगा।

‘हाँ’ के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि वयस्कों के मनोरंजक उपयोग के लिए मारिजुआना की खुदरा बिक्री को कानूनी तौर पर वैध बनाने, उसका विनियमन करने और उस पर कर लगाने से प्रतिबंधित किया जाएगा और मारिजुआना रखने के लिए लागू दंड में बदलाव किया जाएगा।

‘नहीं’ के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि मारिजुआना से संबंधित कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 9

मौजूदा कानून के संबंध में जनमत-संग्रह

क्या आप नीचे संक्षेप में बताए गए उस कानून को अनुमोदित करते हैं, जिसे प्रतिनिधि सभा ने 18 जुलाई 2024 को 124 के मुकाबले 33 मतों से तथा सीनेट ने 18 जुलाई 2024 को 35 के मुकाबले 5 मतों से अनुमोदित किया था?

सारांश

यह कानून Massachusetts में आग्नेयास्त्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में कई बदलाव करता है।

यह कानून स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को Extreme Risk Protection Order (अत्यधिक जोखिम संरक्षण आदेश) जारी करने के लिए अदालत से अनुरोध करने की अनुमति प्राप्त पक्षों के रूप में शामिल करता है - जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति खुद या दूसरों के लिए वर्तमान खतरा है, स्वयं या दूसरों के लिए तत्काल खतरा हो, तो उसे अपने आग्नेयास्त्र लाइसेंस, परमिट और आग्नेयास्त्र सरेंडर करने या वापस करने होंगे। यह कानून यह भी प्रावधान करता है कि Harassment Prevention Order (उत्पीड़न रोकथाम आदेश) जारी करने के समय न्यायालय आग्नेयास्त्र लाइसेंस, परमिट और आग्नेयास्त्रों को सरेंडर करने का आदेश दे सकता है।

इस कानून के तहत ऐसे “ghost gun (घोस्ट गन)” आग्नेयास्त्रों को अपने पास रखना, बनाना या किसी अन्य को हस्तांतरित करना दंडनीय होगा जिनका पता नहीं लगाया जा सकता और प्राचीन वस्तुओं तथा स्मृति चिन्हों को छोड़कर सभी आग्नेयास्त्र जिसमें ऐसे अधूरे फ्रेम और रिसीवर भी शामिल हैं तथा उन्हें

आसानी से तैयार उत्पाद में बदला जा सकता है। यह कानून 3D-प्रिंटेड बंदूकों जैसी निजी तौर पर बनाई गई बंदूकों को अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाए न जा सकने वाले "ghost gun (घोस्ट गन)" आग्नेयास्त्रों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में शामिल करता है।

यह कानून आग्नेयास्त्र लाइसेंसिंग की आवश्यकताओं में निम्नलिखित बदलाव करता है: (1) स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को आग्नेयास्त्र रखने के लाइसेंस, आग्नेयास्त्र पहचान पत्र और आग्नेयास्त्र बेचने के लाइसेंस के आवेदनों की समीक्षा के हिस्से के तौर पर राज्य से पिछले लाइसेंस और परमिट से संबंधित जानकारी माँगने की अनुमति देना और साथ ही उनकी पूर्व अनैच्छिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं के अलावा, अदालत द्वारा खारिज की गई अनैच्छिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता संबंधी याचिकाओं तक भी पहुँच प्रदान करना; (2) सेमीऑटोमैटिक राइफल या शॉटगन रखने के लिए व्यक्ति की 21 साल की आयु को आवश्यक बनाना; (3) आग्नेयास्त्र के खोने या चोरी होने की रिपोर्ट न करने के दूसरे अपराध के लिए छह महीने तक की कैद की संभावना का प्रावधान शामिल करना; और (4) 12-15 साल के बच्चों को माता-पिता की अनुमति लेकर आत्मरक्षा स्प्रे परमिट के लिए आवेदन करने करने और 15 से 18 साल की आयु वालों को स्वतंत्र रूप से आवेदन करने की अनुमति देना।

यह कानून स्थानीय आग्नेयास्त्र लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को आग्नेयास्त्र डीलर्स के निरीक्षण की ज़िम्मेदारी राज्य पुलिस को सौंपने की अनुमति देता है। इस कानून के तहत स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के लिए ऐसे निरीक्षणों के संबंध में राज्यव्यापी प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा। इसके तहत विक्रेताओं के लिए समय-सीमा समाप्ति वाले या निलंबित लाइसेंस जब्त करना और इसकी सूचना राज्य तथा स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को देना अनिवार्य होगा।

यह कानून "मशीन गन" की परिभाषा को बदलकर बंप स्टॉक, ट्रिगर क्रैंक, Glock स्विच और ऑटो सियर्स को उन उपकरणों में शामिल करता है जिनके कब्जे और उपयोग के लिए दंड निर्धारित है। यह "साइलेंसर" की परिभाषा का विस्तार करते हुए साइलेंसर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों को भी शामिल करता है।

यह कानून स्पष्ट तौर पर बताता है कि किसी आग्नेयास्त्र को असॉल्ट-शैली के हथियार के रूप में निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाएगा और किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पहले से स्वामित्व वाले असॉल्ट-शैली के हथियारों और बड़ी क्षमता वाले फ़ीडिंग डिवाइसेज़ को अपने पास रख सकता है।

यह कानून राज्य के Firearm Control Advisory Board (फ़ायरआर्म कंट्रोल एडवाइज़री बोर्ड) और राज्य के Secretary of Public Safety and Security (सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा सचिव) को प्रतिबंधित असॉल्ट-स्टाइल आग्नेयास्त्रों, स्वीकृत आग्नेयास्त्रों, और टारगेट शूटिंग के लिए बेचे जाने वाले स्वीकृत आग्नेयास्त्रों की सूची की समीक्षा और अपडेट करने की आवश्यकताओं को भी स्पष्ट करता है।

यह कानून मोटर वाहनों और ATV में आग्नेयास्त्रों को ले जाने और परिवहन से संबंधित आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। यह कुछ अपवादों के साथ सरकारी भवनों, मतदान स्थलों और स्कूलों में आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।

यह कानून राज्य को और राज्य से डेटा संकलन तथा रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार करता है और गुमनाम रूप में समग्र आग्नेयास्त्र डेटा के लिए एक सार्वजनिक रूप से सुलभ डैशबोर्ड बनाता है, साथ ही उस डेटा का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन भी करता है।

इस कानून के तहत राज्य पुलिस को आग्नेयास्त्र रखने के लिए लाइसेंस या आग्नेयास्त्र ID कार्ड चाहने वाले नए आवेदकों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा देना आवश्यक है।

यह कानून दो विशेष विधायी आयोग स्थापित करता है - पहला, हिंसा रोकथाम सेवाओं के लिए धन की व्यवस्था की जाँच करने के लिए और दूसरा, उभरती आग्नेयास्त्र तकनीक का अध्ययन करने के लिए।

यह कानून उपयोग में आ रही किसी इमारत पर आग्नेयास्त्र चलाने और आग्नेयास्त्र के उससे टकराने को अपराध घोषित करता है।

'हाँ' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि वह कानून प्रभावी बना रहेगा जो घोस्ट गन, मशीन गन, और असाॅल्ट-स्टाइल हथियारों सहित आग्नेयास्त्रों के विनियमन को बढ़ाता है।

'नहीं' के तौर पर वोट देने का मतलब होगा कि इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा।